C. L. Ga

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन; 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ ।

संख्या: 1191-पी/रा0वि0प0-तीस-55पी/86.   दिनांक अगस्त 3, 1989.

समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
समस्त महाप्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
समस्त मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।

विषय:- दोहरे कार्यभार के लिये अतिरिक्त वेतन की स्वीकृति ।

महोदय,

परिषदाज्ञा संख्या 6611-जी/रा0वि0प0-111-1569/68, दिनांक 22 अगस्त, 1978 में दोहरे कार्यभार के लिये अतिरिक्त वेतन स्वीकृत किये जाने की शर्तें/प्रतिबन्ध निर्धारित हैं । इसी क्रम में, शासन द्वारा वित्त संहिता खण्ड दो भाग-II से IV के मूल नियम 49 को संशोधित करते जारी की गयी अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या जी-1-815/दस-534(97)-81 दिनांक 19 अप्रैल, 1983 की एक प्रति मुझे आपको सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संलग्न भेजने का निदेश हुआ है ।

संलग्नक:- यथोपरि ।

भवदीय,

(रामेश्वर प्रसाद भार्गव)
संयुक्त सचिव

संख्या: 1191-पी(1)/रा0वि0प0-तीस-55पी/86.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
2. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
3. परिषद सचिवालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग ।
4. समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।

आज्ञा से,

(शिव शक्ति सरन)
उप सचिव

वित्त ।सामान्य। अनुभाग-1

संख्या जी-1-815/दस-534।97।-81
लखनऊ, 19 अप्रैल, 1983

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये फण्डामेण्टल रूल्स का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल ।द्वितीय संशोधन। नियमावली, 1983

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-।1। यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल ।द्वितीय संशोधन। नियमावली, 1983 कही जायगी।

।2। यह दिनांक 18 फरवरी, 1983 से प्रवृत्त होगी।

नियम 49 का संशोधन

2-फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग दो से चार में दिये गये, उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा:-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
49. The Government may appoint one Government servant to hold substantively, as a temporary measure, or to officiate in, two or more independent posts at one time. In such cases his pay is regulated as follows:	49-सरकार किसी सरकारी सेवक को, जो मौलिक या स्थानापन्न रूप से कोई पद धारण किये हुए है, राज्य सरकार के अधीन किसी एक समय में एक या उससे अधिक अन्य अलग-अलग पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकती है। ऐसे मामलों में उसका वेतन निम्नलिखित प्रकार से विनियमित किया जायेगा:
(a) the highest pay, to which he would be entitled if his appointment to one of the posts stood alone, may be drawn on account of his tenure of that post;	।एक। यदि किसी सरकारी सेवक को उसके ही कार्यालय में और उसी संवर्ग/पदोन्नति क्रम में उसके साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त उच्चतर पद के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो उसे वही वेतन मिलेगा जो तब अनुमन्य होता जब उसकी नियुक्ति

(b) for each other post he draws such reasonable pay, in no case exceeding half the presumptive pay (excluding overseas pay) of the post, as the Government may fix; and

(c) if compensatory or sumptuary allowances are attached to one of more of the posts, he draws such compensatory or sumptuary allowances as the Government may fix, provided that such allowances shall not exceed the total of the compensatory and sumptuary allowances attached to all the posts.

उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से की गयी हो, जब तक कि उक्त स्थानापन्न वेतन नियम 35 के अधीन कम न किया गया हो, किन्तु निम्न पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जायगा।

(दो) जहाँ किसी सरकारी सेवक को उसी कार्यालय में, उसी संवर्ग में समान वेतनमान वाले दो पदों का दोहरा कार्यभार ग्रहण करने के लिये औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाए, वहाँ दोहरे कार्यभार की अवधि का विचार किये बिना कोई अतिरिक्त वेतन अनुमन्य नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकारी सेवक को ऐसे अतिरिक्त पद पर जिसके साथ कोई विशेष वेतन हो, नियुक्त किया जाए तो उसे ऐसा विशेष वेतन दिया जाएगा।

(तीन) जहाँ किसी सरकारी सेवक को किसी ऐसे अन्य पद या पदों का जो उसी कार्यालय में न हो या हों या उसी कार्यालय में होते हुए भी उसी संवर्ग/पदोन्नति क्रम में न हो या हों, कार्यभार ग्रहण करने के लिये औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाए, वहाँ उसे उच्चतर पद का, या यदि वह दो से अधिक पदों का कार्यभार ग्रहण कर रहा है तो उच्चतम पद का वेतन अतिरिक्त पद या पदों के अनुमानित वेतन के दस प्रतिशत के अलावा दिया जाएगा, यदि अतिरिक्त कार्यभार तीस दिन से अधिक किन्तु नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए ग्रहण किया जाए :

परन्तु यदि किसी विशिष्ट मामले में यह आवश्यक समझा जाए कि सरकारी सेवक को अतिरिक्त पद या पदों का कार्यभार नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए ग्रहण करना चाहिये तो नब्बे दिन की अवधि के पश्चात अतिरिक्त वेतन का भुगतान करने के लिये राज्य सरकार के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी।

........3/-

(चार) किसी ऐसे सरकारी सेवक को जिसे अन्य पद या पदों के दैनिक कर्तव्यों का सिर्फ वृत्ति का कार्यभार ग्रहण करने के लिये नियुक्त किया जाए, चाहे भी अतिरिक्त कार्यभार का कार्यकाल कितना ही क्यों न हो, कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाएगा।

(पांच) यदि किसी एक या उससे अधिक पदों के साथ कोई प्रतिकर या सत्कार भत्ता सम्बद्ध है तो सरकारी सेवक ऐसा प्रतिकर या सत्कार भत्ता आहरित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए :

परन्तु ऐसे भत्तों की धनराशि सभी पदों से सम्बद्ध प्रतिकर और सत्कार भत्तों की कुल धनराशि से अधिक नहीं होगी।

Audit Instructions regarding Rule 49

1. This rule requires that such pay as may be considered "reasonable" in the circumstances may be given ; half the presumptive pay of the post is not therefore to be regarded as the amount normally permissible.

2. Presumptive pay for the purpose of clause (b) of the rule should according to Fundamental Rule 9(24), be taken to be what the Government servant, who is placed in additional charge, will draw as initial pay in the time-scale of the additional post under Fundamental Rule 22, where he formally transferred to it. In cases, however, in which the maximum pay of the lower post is less than the pay of the government servant in his substantive post, the application of Fundamental Rule 22 is not clear and accordingly in such a case the maximum of the pay of the lower post should be taken as the presumptive pay for the purposes of clause (b) of the rule.

.........4/-

3. Under this rule a government servant is not entitled to overseas pay in respect of both the posts, that is he cannot get the benefit of the overseas pay whether in sterling or rupees of the second post.

Orders of the Governor regarding rule 49

1. This rule does not apply when a Government servant is not formally appointed to the additional post. When a post is vacant for a period of fourteen days or less, it is should be carefully considered whether it is really necessary to fill it, particularly if the filling of it involves a transfer. If there will be no detriment to the public service by leaving the post unfilled, it should not be filled at all. If on the other hand it is desirable or possible to entrust the current duties of the post to some other government servant on the spot, this may be arranged, but then too no formal appointment should be made to the other post and no extra remuneration allowed to the Government servant for attending to the current duties of that post in addition to his own duties. It may be necessary for legal, technical or even administrative reasons to fill short vacancies of even less than fourteen days, but a careful and deliberate discretion should be exercised before vacancies of this duration are filled. Vacancies extending from fourteen days to one month require less strict treatment, but they, too, should not be filled as a matter of course, but if it is advisable on public (as opposed to private) grounds to do so. Short vacancies of longer than one month's duration may be normally filled unless it is considered unnecessary to do so. A formal appointment under rule 49 should only be made when it is absolutely necessary that

नियम 49 से संबंधित राज्यपाल के आदेश

1- यह नियम ऐसे लिपिक वर्ग, अधीनस्थ या निम्न वर्ग के पदों पर लागू नहीं होता है जिनके संबंध में कर्तव्यों को कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्यों में वितरित किया जाएगा। यह नियम उस दशा में भी लागू नहीं होता है जब किसी सरकारी सेवक को अतिरिक्त पद (पदों) पर औपचारिक रूप से नियुक्त न किया जाए और न ऐसे मामलों में लागू होता है जहाँ पर औपचारिक नियुक्ति प्रबन्ध समाप्त हो जाने के पश्चात की जाए। राजपत्रित सरकारी सेवक की स्थिति में नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना भी अपेक्षित है जिसे यथाशीघ्र जारी किया जाना चाहिये ताकि अधिकारी को यह मालूम हो जाए कि उसे अतिरिक्त पद या पदों के पूरे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करना है। यदि कोई पद तीस दिन या उससे कम अवधि के लिए रिक्त है तो इस बात पर भली-भाँति विचार किया जाना चाहिये कि क्या उसे भरना वस्तुतः आवश्यक है; विशेष रूप से यदि उसे भरने में स्थानान्तरण करना पड़े। यदि पद को रिक्त छोड़ देना लोक सेवा के लिये अहितकर न हो तो उसे कदापि नहीं भरना चाहिये। यदि इसके विपरीत किसी पद के नित्य प्रति के कर्तव्य उसी स्थान पर किसी अन्य सरकारी सेवक को सौंपना वांछनीय या सम्भव है तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है, किन्तु ऐसा करने पर भी अन्य पद के लिये कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं की जानी चाहिये और सरकारी सेवक को अपने

the Government servant should perform the full duties of the vacant post or posts in addition to his own duties.

2. The above instructions apply not only to dual appointments but also to single officiating appointments and should be carefully observed in making officiating appointments or in recommending such appointment to Government in vacancies lasting for short periods. If some delay occurs in the arrival of a successor already appointed to a vacant post, the current duties of the post should be carried on by a Government servant on the spot till the arrival of the successor and no extra remuneration should be paid to that Government servant for carrying on the current duties of the vacant post. As already explained in paragraph 1 above, no extra remuneration is admissible for performance of current duties of a vacant post. In the case of short vacancies, only the current duties of the vacant post can be attended to and bigger and intricate problems have necessarily to be left over till the return of the absent Government servant from leave or till the arrival of the new incumbent of the post.

3. Before...

कर्तव्यों के अतिरिक्त पद के नित्य प्रति के कर्तव्यों का पालन करने के लिये कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिये। निजिक, प्रासंगिक या प्रशासनिक कारणों से तीस दिन से भी कम अवधि की अल्पकालिक रिक्तियों को भरना आवश्यक हो सकता है किन्तु ऐसी अवधि की रिक्तियों को भरने के पूर्व सावधानी से और विमर्शपूर्वक विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिये। तीस दिन से अधिक की रिक्तियों के लिए कम कठोरता बरतना अपेक्षित है किन्तु उन्हें भी सामान्यतया नहीं भरना चाहिये जब तक कि लोक आधार पर (निजी आधार से भिन्न) ऐसा करना उचित न हो। नियम 49 के अधीन औपचारिक नियुक्ति तभी की जानी चाहिये जब यह समझा जाए कि सरकारी सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के साथ-साथ रिक्त पद या पदों के पूर्ण कर्तव्यों का पालन किया जाना परम आवश्यक है।

2- जिस दिनांक से इस नियम के उपबन्ध लागू होंगे उस दिनांक से इस विषय पर सरकारी आदेश संख्या जी-1-172/दस-534(97)-69, दिनांक 14 मई, 1970 में जारी किये गये आदेश अतिक्रमित समझे जायेंगे।

..........6/-

is made to Government in any case, it should be carefully examined with due regard to the general principles laid down in paragraph 3 of the orders of the Governor regarding Fundamental rule 9(25), whether the grant of extra remuneration is really justified. Unless full and clear justification has been given for the grant of special pay in accordance with those principles, no such proposal will be entertained.

4. In case a formal appointment is justified and made the amount of additional pay that may be allowed under clause (b) of rule 49 will be regulated as follows :

(a) If the period of dual charge does not exceed a month, the amount of additional pay ~~should be fixed at a suitable~~ amount which should not exceed one-fifth of the presumptive pay of the post or Rs.10 per diem, whichever is less.

(b) If the period of dual charge exceeds a month but does not exceed three months the amount of additional pay should be fixed at a suitable amount not exceeding one-fifth of the presumptive pay of the post or Rs.500 per mensem, whichever is less.

(c) If the period exceeds three months, the additional pay should ordinarily not exceed one-fifth of the presumptive pay of the post. In special cases only will the Government be prepared to consider the grant of a higher amount.

These limits relate only to additional pay for holding a dual charge and not to compensatory allowances, if any, attached to either of the posts which are granted for other considerations.

इन मूल नियमों को सर्वप्रथम भारत सरकार ने बनाया था और राज्य सरकार ने इन नियमों को वित्त (ए) विभाग की राजाज्ञा संख्या ए 5631/दस-534, दिनांक 29 दिसम्बर, 1921 के अनुसार अपनाया था ।

आज्ञा से,

ह0/-

जग मोहन लाल बजाज,
सचिव ।

संख्या-जी-1-815(1)/दस-83-534(97)-81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

(2) विधान सभा/परिषद सचिवालय ।

(3) राज्यपाल सचिवालय ।

(4) शासन के समस्त सचिव तथा विशेष सचिव ।

(5) महालेखाकार 1, 2, एवं 3 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ ।

आज्ञा से,

ह0/-

एस0 डी0 वर्मा,
उप-सचिव ।

8

U.P. STATE ELECTRICITY BOARD
SHAKTI BHAWAN: 14-ASHOK MARG
LUCKNOW

No. 6611-G/SEB(I)-156A/68 Dated/August 22, 1978

The Chief E-ngineer(Hydel)/(Thermal),
U.P. State Electricity Board,
Lucknow.

General Manager,
KESA, Kanpur/Obra/Dehradun.

Subject:- Grant of dual charge allowance.

Sir,

I am directed to refer to instructions issued in marginally noted Board's letters on the above subject and to emphasize once again that it may please be specifically and promptly brought to the notice of all officers working under you that no dual charge allowance shall be payable unless such a dual charge is ordered by the Board, or the Competent Authority, its approval is obtained in advance and the essential conditions as set out in F.R. 49 of F.H.B. Vol.II are adequately met and fulfilled. A valid case for the grant of dual charge allowance would be available only if the following conditions are fulfilled:-

1. No. 6582-A/SEB-16/59 dt. 2.2.66
2. No. 743-A(2)SEB/156A/68 dt. 28.4.69
3. No. 4307-G/SEB(II)212A/56 dt. 5.8.75

a) All arrangements involving dual charge effected by unit heads should be got ratified from the Board.

b) Whenever such arrangements are made by them, they should be specifically and promptly brought to the notice of the Board.

c). Cases involving dual charge for 3 months or more would be treated as performance of full duty of the additional charge provided the conditions set out in F.R.49 of the F.H.B. Vol.II are adequately fulfilled;

d) Cases involving dual charge for period less than 3 months will be treated as current duties of second charge only; and

e) No additional pay will be allowed in cases where the period of dual charge is less than 3 months.

Contd.. 2.

9

I am to add that the cases for the grant of dual charge allowance dating prior to the year 1974-75 need not be referred to the Board to this stage.

Yours faithfully,

23/8/78

(S.C. JAIN)
JOINT SECRETARY(ADMN.I)

No. 6611G(1)/SEB-I-156A/68

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

1. All Chief Zonal Engineers,U.P. State Electy. Board.
2. All Additional Chief Engineers,U.P. State Electricity Board,
3. Chief Accounts Officer,U.P. State Electricity Board, Shakti Bhawan,14-Ashok Marg, Lucknow.
4. Assistants Accounts Officer(Pay & Accounts) U.P. State Electricity Board, 14-Ashok Marg, Shakti Bhawan, Lucknow.
5. All Superintending Engineers,U.P. State Electricity Board,
6. All Officers/Sections /Private Secretary Personal Assistants at Board Headquarter's Office.

By order,

(R.P. BHARGAVA)
UNDER SECRETARY